दल्ला बनाम मांगू
प्र0रां0:— 191 / 2015 वाद
GCMS No - 2016 / 00554

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 191 / 2015 वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0 का0 अधिनियम
GCMS No. - 2016 / 00554

दल्ला पिता किशना डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा ।

बनाम

मांगू पिता मंगला डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11—डी जा.दी.

:: आदेश::

दिनांक:— 08.11.2024

1. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड ने दिनांक 13.06.2024 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का पेश किया जिसमें अंकित किया की वादी द्वारा उक्त वाद पत्र क्रय शुदा आराजियात की घोषणा हेतु प्रतिकुल कब्जे के आधार पर पेश किया है। वाद पत्र में धारा 163 (4) रा०का०अ० के तहत रिलिफ मांगी गई है। जबकि धारा 163 विलोपित की जा चुकी है। व उक्त धारा में प्रतिकुल कब्जे का कोई प्रावधान नही है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात सयुक्त रूप से कय कि गई तथा दोनो सह खातेदार है। सह खातेदार प्रत्येक इंच पर काबिज होता है। इसलिए प्रतिकुल कब्जे की उपधारणा लागु नही होती है। तथा उक्त वाद—पत्र इसी वाद हेतु पर आधारित है। इसलिए विधीबाधित होकर सव्यय खारीज फरमाया जाने योग्य है।

2. वादीगण के अधिक्ता श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया ने प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का दिनांक 20.08.2024 को जवाब पेश किया अपने जवाब में अंकित किया की वादी का वाद घोषणा का वाद होने से न्यायालय के श्रवणा क्षैत्राधिकार है। उक्त वाद कृषि आराजियात से सम्बन्धित होने से श्रीमान को सुनने का श्रवणा क्षैत्राधिकार है तथा प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त होने योग्य हैं।

3. प्रकरण में विद्ववान अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया की आवेदन पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया जावे। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा निवेदन किया की विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मय हर्जा खारिज किया जावें। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक [illegible] दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हमारे विनम्र [illegible] गण द्वारा न्यायालय हाजा में पेश प्रकरण धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादी द्वारा उक्त वाद पत्र क्रय शुदा आराजियात की घोषणा हेतु प्रतिकुल कब्जे के आधार पर पेश किया है। वाद पत्र में धारा 163 (4) रा०का०अ० के तहत रिलिफ मांगी गई है। जबकि धारा 163 विलोपित की जा चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजियात सयुक्त रूप से क्रय कि गई तथा दोनो सह खातेदार है। सह खातेदार प्रत्येक इंच पर काबिज होता है। इसलिए प्रतिकुल कब्जे की उपधारणा लागु नही होती है। जिससे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:36:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

द्वारा प्रस्तुत वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11–डी जा.दी जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11–डी स्वीकार किया जाना तथा वाद वादीगण का निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11–डी जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:36:28 IST
Reason: SelfAttested